न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

<u>अपील डिक्री / टीए / 3187 / 2003 / भरतपुर</u>

1— गोविन्दा पुत्र श्यामा मृतक जरिए वारिसानः—

1 / 1— महेन्द्र पुत्र गोविन्दा

1 / 2— बच्चू पुत्र गोविन्दा

समस्त जाति गडरिया निवासी ग्राम मंहगाया तहसील व जिला भरतपुर।

2— रामस्वरूप पुत्र श्यामा मृतक जरिए वारिसानः—

2 / 1— टीकम पुत्र रामस्वरूप

2 / 2— गब्बर

2 / 3— डोरीलाल

पिसरान रामस्वरूप नाबालिग जरिए वली मु0 हसनवती बेवा रामस्वरूप

2 / 4— मु0 हसनवती बेवा रामस्वरूप

3— शिवदयाल पुत्र गुल्ला नवीरा श्यामा

4— श्योदान पुत्र गुल्ला नवीरा श्यामा

5— धनीराम पुत्र गुल्ला

6— मल्लसैन उर्फ मलखान पुत्र श्यामा

7— खेमचंद पुत्र श्यामा

8— रमा बेवा श्याम नाम तर्क

समस्त जाति गडरिया निवासी ग्राम मंहगाया तहसील व जिला भरतपुर।

—अपीलांटस

बनाम

1— धुधरिया पुत्र लालाराम मृतक जरिए वारिसानः—

1 / 1— जवाहर पुत्र धुधरिया

1 / 2— बाबू पुत्र धुधरिया

समस्त जाति गडरिया निवासी ग्राम मंहगाया तहसील व जिला भरतपुर।

2— प्रेमसिंह पिसरान पतराम

3— साहबसिंह पिसरान पतराम

4— दामोदर पिसरान पतराम

5— करनसिंह पिसरान केशव

6— अमरसिंह पिसरान केशव

7— दारासिंह नाबालिग जरिए माता अंगूरी बेवा केशव

8— अंगूरी बेवा केशव

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टीए / 3187 / 2003 / भरतपुर

9— सिरिया पुत्र सोरन

समस्त जाति गडरिया निवासी ग्राम मंहगाया तहसील व जिला भरतपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः—

श्री जे0के0 पारीक, अधिवक्ता अपीलांटस

श्री रोहित सोनी एवं श्री उमेश कुमार, अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय

दिनांकः— 27.06.2025

अपीलांटस द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 143 / 2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है अपीलांटस के पिता श्यामा / वादी ने प्रतिवादी / रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 89 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के समक्ष पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 143, 147, 148, 198 कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम मंहगाया में स्थित है। उक्त आराजी वादी के पिता एवं प्रतिवादीगण के बाबा की खुदकाश्त की आराजी थी। वादी के पिता सोहनपाल की मृत्यु करीब संवत् 2012 में हो गई तथा उसका विरासत का दाखिल खारिज वादी व प्रतिवादीगण के पिता लालाराम के नाम स्वीकार हुआ तथा लालाराम परिवार में बड़ा होने के कारण आराजी मुतनाजा का इन्द्राज उसके नाम बहैसियत खातेदार दर्ज हो गया तथा वादी को बहैसियत शिकमी आराजी मुतदाविया का मनबट वादी व उसके बड़े भाई लालाराम के बीच हो गया था, इसलिए मुतदाविया मनबट आराजी मुतनाजा वादी के हिस्से में आई तथा वादी अकेला ही आराजी मुतदाविया को काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का आराजी मुतनाजा से कोई संबंध नहीं

है। इन गलत इन्द्राजात के बने रहने से वादी के हकूकों पर विपरीत असर पड़ता है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी को आराजी मुतनाजा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण के नाम हो रखे इन्द्राजात को कलमजन किया जावें। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.11.91 द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर रेस्पो0 द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष पेश की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17–06–2003 द्वारा स्वीकार कर लिया । अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3– हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4– अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अपीलीय न्यायालय में प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई थी तथा मियाद बाबत् प्रतिवादी/रेस्पो0 ने समुचित एवं पर्याप्त कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किए थे, इसलिए प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद पर ही निरस्त किए जाने योग्य थी, जिसे नजरअंदाज कर निर्णय पारित किए जाने में अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। अपीलीय न्यायालय में रेस्पो0 रामस्वरूप की मृत्यु अपीलीय न्यायालय के निर्णय के एक वर्ष पूर्व हो चुकी थी, इसके उपरांत भी प्रतिवादी ने रामस्वरूप के वारिसान को पक्षकार बनाने की कार्यवाही नहीं की, इसलिए अपीलीय न्यायालय का निर्णय मृतक व्यक्ति के विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार एवं बिना किसी कारण के प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत अपील को अंदर मियाद माना है जबकि अपीलीय न्यायालय को मियाद बाबत् समुचित एवं पर्याप्त कारण अपने निर्णय में अंकित करने चाहिए थे जाने उनके द्वारा नहीं किए गए । विवादित भूमि पर वादी/अपीलांटस संवत् 2012 से पूर्व काबिज एवं काश्त करते चले आ रहे थे तथा संवत् 2025 से 2028 की जमाबंदी में वादी/अपीलांटस को शिकमी 16 साल अंकित किया था जिसके आधार पर

वादी विवादित भूमि पर खातेदार एवं काश्तकार घोषित योग्य था, इन्हीं समस्त तथ्यों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा वादी को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया था जिसे अनदेखा करते हुए अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में राजीनामें को सही नहीं माना था तथा विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि वादी विवादित भूमि के खातेदार एवं काश्तकार है इसलिए राजीनामें के माध्यम से विवादित भूमि प्रतिवादी को प्रदान नहीं की जा सकती है। इसके उपरांत भी अपीलीय न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करके व राजीनामें को आधार मानकर जो विवादित निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह पूर्णतया अवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। विवादित खसरा संख्या 198 से प्रतिवादी/रेस्पो0 का कोई भी हक एवं अधिकार नहीं है तथा ना ही इस खसरा नंबर पर कभी भी प्रतिवादी का कब्जा एवं काश्त रहा है। अपीलीय न्यायालय ने खसरा संख्या 199 रकबा 0.11 एयर पर से वादी का नाम कलमजन किए जाने का जो विवादित आदेश प्रदान किया है, इस प्रकार का आदेश पारित करने में अपीलीय न्यायालय सक्षम नहीं है, क्योंकि विचारण न्यायालय में दावा वादी/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत किया गया था व वादी द्वारा प्रस्तुत दावे में प्रतिवादी को किसी भी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2003 बाबत् खसरा संख्या 198 रकबा 14 बिस्वा हाल खसरा संख्या 199 रकबा 0.11 एयर के बाबत् स्वीकार करने एवं वादी का नाम खसरा संख्या 199/0.11 एयर से नाम कलमजन करने के आदेश को न्यायहित में निरस्त किया जावें तथा न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.91 को यथावत् रखा जावें।

5— विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने क्रोस ऑब्जेक्शन पेश कर कथन किया कि विचारण न्यायालय ने वादी श्यामा को विवादित आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर काबिज मानकर वाद को निर्णय दिनांक 22.11.1991 के द्वारा स्वीकार कर संपूर्ण आराजी का खातेदार घोषित कर डिक्री जारी की है। इस निर्णय व डिक्री के हाल रेस्पो0 ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष पेश की जो राजीनामे की हद तक स्वीकार कर, गुणावगुण बाबत् अनिर्णित रख दिनांक 17.06.2003 को तय कर दी गई ।

स्पष्टतया विचारण न्यायालय ने कब्जा मुखालफाना के आधार पर अविधिक निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि कारित की है । विचारण न्यायालय ने राजीनामा अवैधानिक होने से वाद स्वीकार योग्य नहीं माना था । चूंकि बिना पंजीकरण दस्तावेज के अधिकारों का हस्तातंरण अवैध होता है । इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने वादी को अवांछित अनुतोष प्रदान किया है जिसे अपीलीय न्यायालय ने मात्र राजीनामे की हद तक आंशिक स्वीकार करने में गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है । प्रकरण में राजीनामा अवैध घोषित कर दिये जाने वाद वादी स्वतः ही निष्प्रभावी होकर बाध्यकारी प्रावधानानुसार इसी स्तर पर खारिज योग्य रहा है । फिर भी अपीलीय न्यायालय ने बिना पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर मात्र राजीनामे के तहत उसकी हद तक अपील आंशिक स्वीकार करने में गंभीर त्रुटि कारित की है । विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 हेतु प्रस्तुत वाद में राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकन के बाबत् अपना स्वत्व एवं उक्त इंद्राज के आधार का भार वादी को साबित करना होता है । तद्नुसार वादी को अपना वाद स्वंय साबित करना होता है, उसे प्रतिवादी की कमजोरी का फायदा नहीं दिया जा सकता है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों को प्रस्तुत करने का अवसर विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान ही नहीं किया गया जिससे कि वाद का खण्डन किया जा सके । वरन् विचारण न्यायालय ने मात्र राजीनामे पर बहस सुनकर वास्ते आदेश नियत किया था । तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने जब राजीनामा अविधिक माना तो प्रकरण को वास्ते अग्रिम कार्यवाही गुणावगुण बाबत् नियत किया जाना चाहिये था । वादी श्यामा को विवादित आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर काबिज मानकर वाद को स्वीकार कर संपूर्ण आराजी का खातेदार घोषित कर तद्नुसार डिक्री पारित की है । इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील को अपीलीय न्यायालय ने राजीनामे की हद तक स्वीकार कर, गुणावगुण बाबत् अनिर्णित रख आक्षेपित निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि मृतक के विरूद्ध पारित निर्णय शून्य प्रभावी होता है । तहत अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील में निर्णय पारित किये जाने के एक वर्ष पूर्व तत्समय रेस्पो0 संख्या 2 फौत हो चुका था जिस कम में अपीलांट ने अपीलमीमों के पैरा संख्या 4 में भी अंकन किया है । अतः तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मृतक रामस्वरूप के विरूद्ध पारित होने से काबिल निरस्तनीय है । विधि का यह प्रकियात्मक सिद्धांत है कि किसी भी वाद में बिना

विवाद्यक सृजित किए तथा उनका विधि अनुसार निस्तारण किए बिना वाद तय नहीं किया जा सकता है । जैसा कि आदेश 14 जा0दी0 में प्रावधित किया गया है कि दावे के प्रत्युतर में जवाबदावा आने पर उसमें विवाद बिन्दु सृजित किये जायेंगे । तत्पश्चात् आदेश 18 जा0दी0 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार दोनों पक्षों की साक्ष्य दर्ज की जायेगी । इसके बाद आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक विवाद्यक का निस्तारण किया जायेगा । इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने विवाद्यक कायम कायम किये बिना वाद को स्वीकार कर लिया । अपीलीय न्यायालय ने भी उक्त विधिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत क्रोस आब्जेक्शन स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2003 एवं सहायक कलेक्टर, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 22.11.1991 निरस्त किये जाकर तद्नुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जावे ।

6— विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत क्रोस ऑब्जेशन का लिखित जवाब पेश कर कथन किया कि रेस्पो0 का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादी / अपीलांट का वाद डिक्री किया है पूर्णतया गलत है क्योंकि विचारण न्यायालय ने संवत 2012 से पूर्व का कब्जा काश्त मानकर राज0काश्त0अधि0 1955 के प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त होना माना है । रेसपो0 को न्यायालय हाजा के समक्ष क्रोस ऑब्जेक्शन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है क्योंकि अपीलीय न्यायालय का आदेश दिनांक 17.06.2003 का था जिसके विरूद्ध रेस्पो0 ने क्रोस ऑब्जेक्शन दिनांक 7.10.2024 को प्रस्तुत किया जो कि माननीय न्यायालय में सक्षम नहीं है, क्योंकि रेस्पो0 की तामील हो गई थी जिसके पश्चात् रेस्पो0 माननीय न्यायालय में उपस्थित हो रहे है । इसलिये नोटिस प्राप्त होने के एक माह के अंदर क्रोस ऑब्जेक्शन प्रस्तुत किया जा सकता है । इस प्रकार क्रोस ऑब्जेक्शन मियाद बाहर पेश किये जाने से खारिज योग्य है । अपीलांट ने अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत अपील के पैरा संख्या 4 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि रेस्पो0 रामस्वरूप की मृत्यु एक वर्ष पूर्व हो चुकी थी तथा रेस्पो0 ने रामस्वरूप के वारिसों को पक्षकार बनाने की कोई कार्यवाही नहीं की इसलिये अपीलीय न्यायालय का निर्णय मृतक व्यक्ति के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य

है । इसी तथ्य को रेस्पो0 ने अपने क्रोस ऑब्जेक्शन में भी स्वीकार किया है । इससे पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय मृतक व्यक्ति के विरूद्ध था । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.11. 1991 का था जिसके विरूद्ध रेस्पो0 अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 24.04.2002 को प्रस्तुत की थी जो कि भारी मियाद बाहर थी तथा मियाद के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किये थे । ऐसी स्थिति में अपील मियाद बाहर पेश किये जाने से मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य थी । इसके बावजूद अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत अपील को राजीनामे के आधार खसरा नंबर 198/14 के संबंध में स्वीकार किया जो पूर्णतया गलत निर्णय है । अतः रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत क्रोस ऑब्जेक्शन निरस्त किया जावे ।

7— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

8— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस के पिता श्यामा द्वारा रेस्पो0/प्रतिवादीगण के विरूद्ध सहायक कलेक्टर, भरतपुर के समक्ष वादपत्र अंतर्गत धारा 88 व 89 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत वाके मंहगाया स्थित आराजी खसरा नंबर 143, 147, 148, 198 बाबत् पेश किया । उक्त वाद के विचाराधीन रहते पक्षकारान के मध्य हुआ राजीनामा दिनांक 13.12.1990 पेश कर कथन किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है । राजीनामा अनुसार खसरा नबर 143, 147 व 148 वादी के पक्ष में तथा खसरा नंबर 198 प्रतिवादी पास रखना स्वीकार है । अतः उक्त राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.11.1991 के द्वारा यह यह निष्कर्ष अंकित करते हुए कि उक्त राजीनामा स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए लिए किया गया है, संपूर्ण आराजियात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 17.06.2003 को निर्णय पारित कर प्रतिवादी/रेस्पो0 की अपील खसरा नंबर 198 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम मंहगाया बाबत् स्वीकार करते हुए उक्त खसरा नंबर बाबत् विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.11.1991 निरस्त किया तथा शेष खसरा नंबर

इबाबत् विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री को यथावत् रखा । अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2003 के विरूद्ध वादी/अपीलांटस ने यह द्वितीय अपील पेश की है जिसमें मुख्य कथन यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा राजीनामा को विधिसम्मत् नहीं माना गया है तो अपीलीय न्यायालय को उक्त राजीनामे के आधार पर प्रतिवादी/अपीलांट की अपील स्वीकार करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । इसी प्रकार प्रतिवादी/रेस्पो0 ने क्रोस ऑब्जेक्शन पेश कर अपीलीय तथा विचारण न्यायालय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त करने तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त करने का निवेदन किया है ।

9— इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश कर खसरा नंबर 143, 147 व 148 वादी के पक्ष में तथा खसरा नंबर 198 प्रतिवादी पास रखना स्वीकार कर इसी अनुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया गया था । इस क्रम में मूल वादपत्र जो विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उसके पैरा संख्या 2 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी के पिता व प्रतिवादीगण के बाबा श्री सोनपाल की खुद काश्त की आराजी थी । श्री सोनपाल की मृत्यु करीब संवत् 2012 में हो गई तो उसका विरासत का दाखिला वादी व प्रतिवादीगण के पिता लालाराम के नाम स्वीकार हुआ मगर चूंकि वादी का भाई लालाराम जो प्रतिवादीगण का पिता है, बड़ा था इसलिये इस आराजी मुतनाजा का इंद्राज उसके नाम बहैसियत खातेदार दर्ज हो गया तथा वादी का नाम बहैसियत शिकमी रहा, उक्त विवादित भूमि के अलावा अन्य आराजियात का मनवट वादी व उसके बड़े भाई लालाराम के बीच हो गया था इसलिये मुताबिक मनवट उक्त आराजी मुतनाजा वादी के हिस्से में आई और वादी ही अकेला इस विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त करता रहा है । उक्त मनवट के बाद प्रतिवादीगण का व उसके पिता लालाराम का इस आराजी मुतनाजा से कभी कोई संबंध नहीं रहा है । मगर लालाराम का व उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज हो रहा है । इस वजह से उनके द्वारा वाद पेश किया गया है । विचारण न्यायालय द्वारा राजीनामा अनुसार वाद डिक्री नहीं किये जाने के कारण प्रतिवादी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष अपील इसी आधार पर पेश की गई थी जिसे अपीलीय न्यायालय ने उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामे के आधार पर निर्णित

किया है । इससे स्पष्ट है कि उभयपक्ष उनके मध्य हुए राजीनामा अनुसार निर्णय चाहते थे । राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामे के क्रम में दिनांक 17.06.2003 को निर्णय पारित किया है, इसमें प्रतिवादी/अपीलांट की अपील साबिक खसरा नंबर 198 रकबा 14 बिस्वा (हाल खसरा नंबर 199 रकबा 11 एयर) वाके ग्राम मंहगाया बाबत् स्वीकार कर उक्त खसरा नंबर बाबत् विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया तथा शेष खसरा नंबर 143, 147, 148 के संबंध में तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर, भरतपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.11.1991 यथावत् रखा जाकर तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी करने के आदेश प्रसारित किये है । अपीलीय न्यायालय के आक्षेपित निर्णय व डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय ने उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामे के क्रम में निर्णय पारित किया है । ऐसी स्थिति में उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 31.12.1990 से बाधित है तथा इससे इंकार नहीं कर सकते है । ऐसी स्थिति में मण्डल के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील के स्तर पर उभयपक्ष द्वारा उक्त राजीनामे के विपरीत कथन कर अपील एवं क्रोस ऑब्जेक्शन पेश किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेंटस द्वारा प्रस्तुत क्रोस ऑब्जेक्शन खारिज योग्य पाये जाते है ।

11— परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील एवं रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत क्रोस ऑब्जेक्शन खारिज किया जाता है । राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2003 यथावत् रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा) सदस्य	(हेमन्त कुमार गेरा) अध्यक्ष